

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.08.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2089 का उत्तर

स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2089. श्री टी.एन. प्रथापन:

श्री कृपानाथ मल्लाह:

श्री रमेश बिधूड़ी:

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

श्री दिनेश लाल यादव "निरहुआ":

श्री एस. वेंकटेशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) असम, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सहित संपूर्ण देश में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है और कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने का विचार है;
- (ख) क्या रेलवे ने विश्व स्तरीय स्टेशनों और मॉडल स्टेशनों के विकास सहित रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन/जोन-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का तीर्थ पर्यटन मानचित्र में गुरुवायूर स्टेशन के महत्व को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) मदुरै और त्रिशूर रेलवे स्टेशन सहित इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अब तक संस्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और स्टेशन-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
- (ङ) क्या सरकार ने असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के प्रमुख स्टेशनों पर किए गए आधुनिकीकरण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

- (छ) क्या सरकार ने इन कार्यों को घटिया गुणवत्ता का पाया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ज) क्या सरकार रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

स्टेशनों के आधुनिकीकरण के संबंध में 02.08.2023 को लोक सभा में श्री टी.एन. प्रथापन, श्री कृपानाथ मल्लाह, श्री रमेश बिधूड़ी, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, श्री दिनेश लाल यादव "निरहुआ" और श्री एस. वेंकटेशन के अतारांकित प्रश्न सं. 2089 के भाग (क) से (ज) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ज): भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य शुरू किए जाते हैं। बहरहाल, कार्य की स्वीकृति और निष्पादन करते समय स्टेशनों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए निम्न कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

तीन स्टेशनों अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य में रानी कमलापति, गुजरात राज्य में गांधीनगर और कर्नाटक राज्य में विश्वेश्वरय्या रेलवे स्टेशनों का हाल ही में पुनर्विकास/आधुनिकीकरण किया गया है। इन स्टेशनों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास के लिए हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इसमें स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार जैसे स्टेशनों तक पहुंच में सुधार लाना, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकतानुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, स्वच्छता, निशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणालियों, एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यापारिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लैंडस्केपिंग आदि करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और इन्हें विभिन्न चरणों में कार्यान्वित करना शामिल है।

इस योजना में स्टेशन इमारत में सुधार, शहर के दोनों छोर के साथ स्टेशन को एकीकृत करने, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेल पथों का प्रावधान, आवश्यकतानुसार 'रूफ प्लाज़ा', लंबी

अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर की चरणबद्ध योजना व व्यवहार्यता और निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

भारतीय रेल में उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु योजना के तहत गुरुवायूर, मदुरै और त्रिशूर सहित देशभर में 1309 स्टेशनों की पहचान की गई है। स्टेशनों की राज्य-वार संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	स्टेशनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	72
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	50
4.	बिहार	92
5.	छत्तीसगढ़	32
6.	दिल्ली	13
7.	गोवा	3
8.	गुजरात	87
9.	हरियाणा	34
10.	हिमाचल प्रदेश	4
11.	झारखण्ड	57
12.	कर्नाटक	56
13.	केरल	35
14.	मध्य प्रदेश	80
15.	महाराष्ट्र	126
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	1
18.	मिजोरम	1
19.	नागालैण्ड	1
20.	ओडिशा	57
21.	पंजाब	30
22.	राजस्थान	83

23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	75
25.	तेलंगांना	40
26.	त्रिपुरा	4
27.	चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश	1
28.	जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	4
29.	पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश	3
30.	उत्तर प्रदेश	156
31.	उत्तराखंड	11
32.	पश्चिम बंगाल	98
	कुल	1309

रेलवे स्टेशनों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए किए गए व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार योजना शीर्ष-53 'यात्री सुविधाएं' के तहत रखा जाता है और न कि कार्य-वार अथवा स्टेशन-वार। भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2023-24 के दौरान, योजना शीर्ष-53 'यात्री सुविधाएं' के तहत आवंटित निधियों व किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्षेत्रीय रेलवे	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
	व्यय	व्यय	व्यय	आवंटन	व्यय (जून, 2023 तक)
मध्य	275.85	152.94	137.18	937.75	42.68
पूर्व	158.96	145.20	115.96	378.52	42.41
पूर्व मध्य	165.46	146.42	184.70	781.52	58.61
पूर्व तट	87.16	66.98	82.67	699.66	60.77
उत्तर	247.25	221.68	390.57	2799.53	88.88
उत्तर मध्य	163.41	118.72	131.22	930.40	51.42
पूर्वोत्तर	103.90	95.33	108.10	273.50	32.14

क्षेत्रीय रेलवे	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
	व्यय	व्यय	व्यय	आवंटन	व्यय (जून, 2023 तक)
पूर्वोत्तर सीमा	104.07	90.03	90.30	400.91	44.31
उत्तर पश्चिम	126.39	51.39	111.46	858.75	49.25
दक्षिण	204.71	154.34	147.21	1242.58	49.67
दक्षिण मध्य	219.79	154.56	146.54	961.86	83.64
दक्षिण पूर्व	118.22	111.61	145.26	480.40	25.13
दक्षिण पूर्व मध्य	118.76	65.18	50.95	183.11	13.32
दक्षिण पश्चिम	115.13	112.13	81.32	468.21	29.89
पश्चिम	318.04	255.77	179.43	1540.83	47.96
पश्चिम मध्य	46.08	49.93	51.43	401.41	15.94
मेट्रो	9.74	3.57	5.08	16.06	0.90
कुल	2582.92	1995.75	2159.38	13355.00	736.92

इसके अलावा, स्टेशनों का पुनर्विकास जटिल प्रकृति का है जिसमें यात्रियों तथा गाड़ियों की संरक्षा शामिल है और इसके लिए शहरी/स्थानीय निकायों आदि से विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियां लेनी अपेक्षित होती हैं और ये कारक समापन समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

भारतीय रेल में कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक अंतर्निहित तंत्र है, जो भारतीय रेल इंजीनियरिंग संहिता, भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली और विनिर्देशों आदि में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित रेलवे अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है और केवल निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले कार्यों को स्वीकार किया जाता है। कार्य की घटिया गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह एक सतत प्रक्रिया है और इसका कोई केन्द्रीकृत सार नहीं रखा जाता है।
